।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 1662 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, अक्टूबर 18 /2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषयः— जनपद चमोली में आलमू से चलिसापानी तक मोटर मार्ग हेतु 1.383है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0 1383 / 1जी—5095 दिनांक 06.12.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून के साथ संलग्न भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा दिनांक 25.11.2022 के बैठक के कार्यवृत्त में विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में चाही गयी आख्या के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, थराली की पत्र सं0 1205 / 36सी0 दिनांक 05.08.2024 से आख्या निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है:—

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा एफ0आर0सी0एम0 बैठक दिनांक 25.11.2022 के कार्यवृत्त में चाही सूचना	आख्या
After detailed discussion, it was decided that the State Government may direct the user agency and local forest officials, jointly to reasess and explore the possibility of connecting the village by means of alternate alignment avoiding forest or through less dense forest.	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, थराली की पत्र सं0 पत्र सं0 1205 / 36सी0 दिनांक 05.08.2024 एवं 734 / 36सी0 दिनांक 22.05.2024 से अवगत कराया गया है कि वैकल्पिक संरेखण का चयन कर उसमें आ रहे वृक्षो की गिनती वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी पिण्डर रेंज, नारायणबगड़ के साथ की गयी जिसमें कुल 117 वृक्ष प्रभावित हो रहे है परन्तु इस नये संरेखण में 400मी0 लम्बाई नाप भूमि अधिक होने से ग्रामीण एवं भू—स्वामियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नही दिया जा रहा है ग्रामवासियो की कृषि योग्य भूमि कम होने के कारण अपनी नाप भूमि देने से मना किया जा रहा है, तथा द्वितीय संरेखण में मार्ग की लम्बाई लागत बढ़ रही है एवं मार्ग की लम्बाई अधिक होने से अधिक वन भूमि प्रभावित हो रही है, केवल वृक्ष कम आ रहे है। विषयांकित मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित संरेखण पर वृक्षो की गणना कर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (FP/UK/Road / 145620 / 2021) गठित किया गया था, जिसमें उपरोक्त वैकल्पिक संरेखण की तुलना मे 142 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। उक्त संरेखण में ज्यादा वृक्ष प्रभावित हो रहे है, किन्तु मार्ग की

Scanned with CamScanner

	लम्बाई / लागत कम आने के साथ ही कम वन भूमि भी प्रभावित हो रही है। मार्ग में प्रथम संरेखण में पड़ने वाली भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। प्रथम संरेखण(प्रस्तावित संरेखण) में नाप भूमि की अनापत्ति ग्रामीणो द्वारा दी गयी है(संलग्न–1)। प्रथम संरेखण भूगर्भीय दृष्टि से भू–वैज्ञानिक द्वारा उपयुक्त पाया गया है, तथा उनके द्वारा अपने सं0 1205 / 36सी0 दिनांक 05.08.2024 से द्वितीय संरेखण (वैकल्पिक संरेखण) से सम्बन्धित संरेखण का तुलनात्मक विवरण संलग्न किया गया है (संलग्न–2)। तथा वैकल्पिक संरेखण की के0एम0एल0 फाईल जिसमें प्रभावित वन भूमि दर्शित कर दिया गया है। के0एम0एल0 फाईल को पार्ट । के यथास्थान अपलोड किया जा चुका है। ग्राम वासियो द्वारा प्रथम संरेखण प्रस्तावित संरेखण जिस हेतु पूर्व में गठित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (FP/UK/Road / 145620 / 2021) बनाया गया है उस संरेखण पर ही सहमति दी गयी है, तथा प्रस्तावित संरेखण से मोटर मार्ग का निर्माण से यह मार्ग एक लिंक रोड के रूप में कार्य करेगा उक्त मार्ग परखाल चोपता मोटर मार्ग व परखाल डुंग्री मोटर मार्ग आपस में जुड जायेगें, जिससे ग्राम आलयू के साथ–साथ ग्राम डुंग्री, रेगांव, सिलकोटी व सीरी के निवासियों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः–1662 /12 दिनांकित।
प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग, थराली को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner